कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर–492002
दूरभाष नं. : 0771–2511920, ईमेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / स्थापना–7 / भर्ती / OF-166 / 2026 / 1640 नवा रायपुर, दिनांक : 09/04/2026

/ / विज्ञापन / /

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ 5–3 / 2017 / 15–1, दिनांक 05 / 12 / 2024, पत्र दिनांक 16 / 04 / 2025 एवं पत्र क्रमांक / ESTB / 11031 / 2025 / 225223, दिनांक 07 / 11 / 2025 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 के प्रावधान अनुसार तृतीय श्रेणी के उप अंकेक्षक (वेतन मेट्रिक्स लेवल–6) के सीधी भर्ती के रिक्त 69 पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किया जाना है। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर की वेबसाईट http://vyapamcg.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक के द्वारा स्वयं सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य शर्तों के अनुसार पात्रता रखता है।

विभाग का नाम :– सहकारिता विभाग

क्र.	पद का नाम एवं वेतन मेट्रिक्स	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	योग
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
01	उप अंकेक्षक (लेवल–6)	29	8	22	10	8	2	6	3	2	0	2	1	02(OA,OL,OAL, DW,AAV,LC) 01 (HH) 01 (LV) 01 (SLD)	69

Abbreviation Used OA=One Arm, OL=One Leg, OAL= One Arm and One Leg, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, LC=Leprosy Cured, HH=Hard of Hearing, LV=Low Vision, SLD=Specific Learning Disability

महत्वपूर्ण टीप :–

1. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** :– सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

   (एक) आयु :–

   (क) 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी की ली हो तथा 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है।

   (ख) राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।

   (ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का है, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ङ) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में छूट, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 अनुसार होगी तथा आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(च) उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

2. निरर्हता :–

(एक) छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 अनुसार होगी।

(दो) उपरोक्त के अलावा निरर्हता के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

3. पदों हेतु आरक्षण :–

(एक) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

(दो) सीधी भर्ती के पदों के लिए महिला आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण तथा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होगा।

4. चयन सूची :–

चयन सूची जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

5. अन्य निर्देश :–

(एक) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(दो) पदों पर नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 के अनुसार की जायेगी।

(तीन) ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लिया जाये कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(चार) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन वित्त निर्देश 21/2020 एवं वित्त निर्देश 33/2023 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(पांच) अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है।

(छः) अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत् दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(सात) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(आठ) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत् हो अथवा भारत सरकार के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम की सेवा में कार्यरत् हो या राष्ट्रीय/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत् हो तो उसे सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(नौ) अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरिष्ठता दी जायेगी।

(दस) अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(ग्यारह) शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर एवं नियुक्ति के पश्चात् भी अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(बारह) चयनित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधी दस्तावेज
2. निवास प्रमाण पत्र
3. स्थायी जाति प्रमाण पत्र
4. अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र

(तेरह) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारी बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चौदह) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किये जाने वाले चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस. एल. पी. (सी) 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

C.R. 7/4/24

आयुक्त

सहकारिता, छत्तीसगढ़